स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

संख्या–6 / एफ1–307 / 17 श्र0सं0– 80

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सिवान ।

पटना, दिनांक :– 18.10.17

विषयः– मुख्य शीर्ष–2230–श्रम तथा रोजगार–01–श्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या–26–उपशीर्ष–0103–अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड– 26–2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2954 दिनांक–23.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष– 2017–18 में **31 मार्च 2018** तक व्यय के निमित "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि **रू० 1,00,000 / – (रूपये एक लाख) मात्र** प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	सिवान	02	**0103.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन**	200000 / – (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, सिवान का पत्रांक–517 एवं 537 क्रमशः दिनांक–16.09.17 एवं 22.09.17 के आलोक में (1) मृतक स्व० सत्यदेव राम, आश्रित–रीता देवी (पत्नी) ग्राम+पोस्ट–सरावे, थाना–मु0 सिवान, प्रखंड–सिवान सदर, जिला–सिवान एवं (2) मृतक स्व० ललन साह, आश्रित–उषा देवी (पत्नी) ग्राम+पोस्ट–कौड़िया, थाना+प्रखंड– भगवानपुर हाट, जिला–सिवान के भुगतान हेतु ।
	कुल	**02**		**200000 / –**	

कुल आवंटित राशि ₹ 2,00,000 / – (₹ दो लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत / आंशिक अपंग / पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स / स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–428 / वि0 दिनांक–31.03.17, पत्रांक–3002 / वि० दिनांक–26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक–2561 / वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

6. विभागीय अधिसूचना सं.–1/आई.एम.एल.–06/2016 श्र.सं.–3023 दि.–14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
18/10/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–6/एफ1–307/17 श्र0सं0– 80 पटना, दिनांक 18.10.17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

18/10/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–6/एफ1–307/17 श्र0सं0– 80 पटना, दिनांक– 18.10.17

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/'**संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक** /प्रशाखा–2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा पदाधिकारी–01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०–367 (श्रम पक्ष) दिनांक–16.10.17 के आलोक में / प्रशाखा–6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा–6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण–पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा–01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा ।

18/10/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः 6/एफ1–307/17 श्र0सं0– 80 पटना, दिनांक 18.10.17

प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/10/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।